<u>१०.०५.२०२२</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त सुनील जाटव की हाजिरी माफी दी गयी है। पत्रावली के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि दिनांक २४.१०.२०१९ से सुनवाई एवं आरोप विरचन हेतु पत्रावली नियत थी। अभियुक्त सुनील जाटव द्वारा दिनांक ०४.०१.२२, १८.०२.२२ एवं ३०.०३.२२ को हाजिरी माफी दी गयी, जिस पर दिनांक ०४.०१.२२ व १८.०२.२२ को अगली तिथि पर व्यक्तिगत रूप से होने के आदेश के साथ स्वीकार की गयी। तत्पश्चात दिनांक ३०.०३.२२ को सुनील जाटव के बीमार होने के आधार पर हाजिरी माफी दी गयी, जो अन्तिम अवसर के साथ स्वीकार की गयी, लेकिन आज पुनः अभियुक्त सुनील जाटव उपस्थित नहीं आया और हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जो पूर्ववर्ती आधार पर प्रस्तुत किया गया है, लेकिन कोई साक्ष्य का मेडिकल प्रेसक्रिप्सन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त सुनील जाटव का हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। अभियुक्त जरिए अजमानतीय अधिपत्र एवं नोटिस जामिनदार के लिए अगली दिनांक ०६.०६.२०२२ के लिए तलब हो।

पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक ०६.०६.२०२२ को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–१,
फतेहपुर।